N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0284 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/12/2024 17:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 03/12/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:45 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/12/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/12/2024 17:21:36 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE CHAOKI GADKA KI CHAOKI, DISTRICT KAROLI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAY SINGH RAJPUT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SARDAR SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON ANANDGARH, KUDGAON, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON ANANDGARH, KUDGAON, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PURAN CHAND KHARWAL		पिता:MOHANLAL KHARWAL	1. ANNTWARA/DEHDA KI DHANEE,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली। विषयः.पटवारी को रिश्वत लेत रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय निवेदन है कि मै जय सिंह पुत्र स्व0 श्री सरदार सिंह जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी गांव आनन्दगढ पुलिस थाना कुडगांव तहसील करौली व जिला करौली का रहने वाला हूं एवं लोडिंग गाडी कोटा में रहकर चलाता हूं। मेरे पिताजी सरदार सिंह तीन भाई सबसे बडे मेरे पिताजी व उनसे छोटे विजय सिंह व उनसे छोटे उमराव सिंह तथा दो बहिन कमलेश कंवर व उच्छव कंवर है। मेरे पिताजी सरदार सिंह की मृत्यु वर्ष 2014 में व मेरे चाचा विजय सिंह की मृत्यु वर्ष 2022 में हो चुकी है। मेरे पिताजी व चाचा के नाम से ग्राम आनन्दगढ में सामलाती कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 12.134 रकबा करीब 9 बीघा है। हमारे चाचा विजय सिंह जिनके कोई बारिश नहीं था हमारे पास रहते थे उनके मृत्यु के बाद उनके हिस्से की जमीन मेरे एवं मेरे चाचा व बुआ के नाम विरासत का इन्तकाल खोलने के लिये मैं और मेरे फुफाजी शंकर सिंह निवासी निवाई जिला टोंक दोनों सायपुर हल्का पटवारी श्री पूरन चन्द से आज से करीब 1 वर्ष पहले मिले और उन्हे सभी कागजात इन्तकाल खोलने के लिये दे दिये उस दौरान पटवारी ने हमसे 9000 रुपये रिश्वत के मांगे और जब भी उसके पास जाते है तभी पटवारी हमसे रिश्वत में 9000 रुपये की मांग करता है मैं ऐसे रिश्वतखोर पटवारी को रिश्वत नहीं देकर बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। पटवारी पूरन चन्द रिश्वत सम्बन्धी बात मेरे फुफा जी से करता है। जो मेरे साथ आये है हमारी पटवारी जी से कोई रंजिश एवं उधार लेन.देन नहीं है कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी. जय सिंह पुत्र स्व0 श्री सरदार सिंह जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी गांव आनन्दगढ पुलिस थाना कुडगांव तहसील व जिला करौली मोबाइल नंबर [redacted] दिनांक 02.12.24 हस्ता शंकर सिंह मो0 नम्बर [redacted] हस्ता जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक एसीबी करौली दिनांक 02.12.2024 ह0 स्वतंत्र गवाह.नवीन जैन व धीरज कुमार दिनांक 03.12.2024 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनाक 02.12.2024 को समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री जयसिंह पुत्र स्व0 श्री सरदार सिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी गांव आनन्दगढ पुलिस थाना कुडगांव तहसील व जिला करौली ने मय अपने फुफा श्री शंकर सिंह के कार्यालय भ्र0 निरोधक ब्यूरो करौली में उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के नाम सम्बोधित करते हुये उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक को पेश की है। चूंकि चौकी पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने तथा चार्ज मन पुलिस निरीक्षक के पास होने से परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यवाही करते हुये परिवादी श्री जयसिंह से उस द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट अपने फुफा शंकर सिंह से बोल बोल कर उनके हस्तलेख में लिखवाई हुई होना एवं रिपोर्ट पर स्वयं के एवं अपने फूफा के हस्ताक्षर होना एवं अंकित तथ्य सही होना बताया एवं जमीन सम्बन्धित दस्तावेज पेश करने की कहने पर परिवादी ने समस्त कागजात पूर्व में पटवारी को देना एवं उसी के पास होना बताया। इसके बाद परिवादी के साथ आये उसके फूफा श्री शंकर सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होने रिपोर्ट स्वयं द्वारा जयसिंह के कहे एवं बोले अनुसार अपने हस्तलेख में लिखी हुई होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के तथा जयसिंह के हस्ताक्षर होना एवं अंकित तथ्य सही होना बताया एवं कार्यवाही में परिवादी जयसिंह के साथ साथ रहने बाबत अपनी सहमति दी। परिवादी एवं उसके फूफा शंकर सिंह से एड्रेस प्रूफ बाबत आधार कार्डो की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां प्राप्त की गई। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई पूछताछ आदि से मामला रिश्वत राशि की मांग का होना पाया जाता है जिसका विभागीय नियुमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है । परिवादी श्री जयसिंह को रिश्वत मांग सत्यापन आदि कार्यवाही से अवगत कराया गया तो परिवादी ने बताया कि पटवारी मेरे फुफा शंकर जी से बात करता है तथा आज भी उन्ही से ही रिश्वत मांग सम्बन्धी बात करेगा तथा आज उसने हमें पैसे लेकर बुलाया है जिस पर पटवारी को मांग के समय उसको कम से कम 1500 रुपये पहले विश्वास में लिये जाने के लिये देने जरूरी है अन्यथा वह हम पर शक कर सकता है। जिस पर उसी रोज समय करीब 04.30 पीएम पर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैक मॉडल सोनी मेड इन चायना बरंग काला मय नया मेमौरी कार्ड किंगस्टन 32 जीबी निकलवाकर तथा वाईस रिकार्डर व मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री जयसिंह व उसके फुफा शंकर सिंह को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई जाकर श्री श्याम सिंह कानि. 599 को वाईस रिकार्डर मैमोरी कार्ड डले सहित सुपुर्द कर हिदायत दी

गई कि परिवादीगण को आरोपी पटवारी के पास भेजने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस कार्यालय में आकर पेश करें साथ ही परिवादी के कथनानुसार वक्त सत्यापन आरोपी पटवारी को बतौर रिश्वत दी जाने वाली 1500 रुपये (500-500 रुपये के तीन नोट क्रमशः 3 वीडी 692649, 3 सीएच 874071, 4 क्यूपी 964170 परिवादी द्वारा पेश करने पर उक्त नोटो की फोटो कॉपी करने की मशीन से फोटो कॉपी कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली कर उक्त 1500 रुपये को वापस परिवादी को पटवारी पूरन चन्द को दिये जाने हेतु सुपुर्द किया जाकर समय करीब 05.00 पीएम पर परिवादी श्री जयसिंह व उसके फुफा श्री शंकर सिंह व श्री श्याम सिंह कानि. 599 को मय विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्ड मैमोरी कार्ड डले सहित परिवादी की निजी मोटर साईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादीगण के कथनानुसार संदिग्ध आरोपी पटवारी पूरनचंद के पास कलैक्ट्रेट परिसर करौली स्थित तहसील कार्यालय के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया जो उसी रोज समय करीब 05.45 पीएम पर वापस कार्यालय आये तथा परिवादी जयसिंह ने बताया कि हम तीनों आपके कार्यालय से पैदल पैदल रवाना हुये तथा कुछ दूरी पर चलकर मेरे फुफा शंकर सिंह द्वारा अपने मोबाईल से पटवारी पूरन चन्द से उसके मोबाईल पर वार्ता की तो पटवारी ने हमें कलेक्ट्रेट करौली परिसर स्थित तहसील कार्यालय में आने के लिये कहा जिस पर हम पैदल पैदल ही कलेक्ट्रेट करौली पहुंचे जहां पर एकांत स्थान पर श्री श्याम सिंह सिपाही ने अपने पास से टेप रिकॉर्डर निकालकर चालू कर मेरे फुफा शंकर सिंह को दिया। जिन्होने अपने पास रख लिया फिर मैं और मेरे फुफा दोनों कलेक्ट्रेट परिसर करौली स्थित तहसील कार्यालय में पटवारी के कमरे की तरफ गये तथा श्री श्याम सिंह सिपाही वहीं आस-पास खडे हो गये पटवारी पूरन चन्द हमें बाहर मिल गया और उसने आवाज देकर हमें उपर एक कमरे जिसमें मिटिग चल रही थी पर बुलाकर हमसें बातचीत की और हमसे हमारे विरासत के इन्तकाल के लिये 8000 रूपये रिश्वत लेने पर अपनी सहमति दी एवं पूर्व में मेरे चाचा के लडके नरेन्द्र से 1 हजार रूपये रहन मुक्ति के लेना स्वीकार किया एवं उसी समय मुझे पैसे देने को कहा जिस पर मैने वही 500 500 रू. के तीन नोट कुल 1500 रूपये जिनकी आपके द्वारा फोटोकॉपी कर अपने पास रखी थी अपने पास से निकालकर पटवारी को दे दिये जो उसने लेकर अपने पास रख लिये और बाकी के पैसे देने को कहा जिस पर हमने उन्हें कल दिनांक 03.12.2024 को देने के लिये कहा तो उसने हमें सुवह अपने पास आने एवं हमारे गांव साथ चलकर मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिये भी कहा है। हमारी पटवारी से जो भी वार्ता हुई है वह हमने वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली और बाहर आकर मेरे फूफा शंकर सिंह ने टेप रिकार्डर चालू हालत में श्याम सिंह को दे दिया जिसे श्याम सिंह ने बन्द कर अपने पास रख लिया फिर हम तीनों वहां से रवाना होकर पैदल-पैदल आये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक के पूछने पर परिवादी के फूफा श्री शंकर सिंह ने परिवादी जय सिंह के कथनों की ताईद की एवं बताया कि मैने आपके कार्यालय से रवाना होकर रास्ते में अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से पटवारी पूरनचन्द से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर लोकेशन के बारे में बातचीत की थी तो पटवारी ने हमें अपने पास कलक्ट्रेट करौली परिसर स्थित तहसील कार्यालय आने के लिये कहा था। इसके बाद कानि श्याम सिंह ने भी पूछने पर परिवादीगण के कथनों की ताईद की। इस पर कानि0 श्याम सिंह से जरिये फर्द विभागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर विभागीय लेपटोप से कनैक्ट कर चालू किया गया तो मूल डिजीटल वॉईस रिकार्डर के फोलडर नं. 01 में वार्ता रिकार्ड होना मिली तथा मूल एसडी कार्ड खाली होना पाया गया ऐसी स्थिति में वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी एसडी कार्ड को बाहर निकालकर एचएम को सुपुर्द किया गया तत्पष्चात मूल विभागीय वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना व सुनाया गया तो आरोपी पटवारी पूरनचन्द द्वारा परिवादी से उसके विरासत का इन्तकाल खोलने एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने के बदले में रिश्वत की मांग करना एवं वक्त सत्यापन 1500 रूपये प्राप्त करना पाया गया है। रिकार्ड वार्ता का रूपान्तरण एवं पैन्ड्राईव स्वतंत्र गवाहान के सामने तैयार किया जाना आवश्यक समझते हुये विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कक्ष की आलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा समय 07.00 पीएम पर परिवादीगण को मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आरोपी पटवारी पूरनचन्द को रिश्वत में दी जाने वाली राशि साथ लेकर दिनांक 03.12.2024 को प्रातः 08.00 एएम पर कार्यालय आने हेतु पाबन्द कर कार्यालय से रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 03.12.2024 को समय 08.00 एएम पर परिवादी श्री जय सिंह अपने फूफा श्री शंकर सिंह के हमराह मोटरसाईकिल से कार्यालय में उपस्थित आया एवं बताया कि मै आरोपी पटवारी श्री पूरनचन्द को रिश्वत में दिये जाने वाली राशि 6500 रूपये साथ लेकर आया हूं। परिवादीगण को बाद हिदायत कार्यालय के कमरे में बैठाया जाकर श्री गोपेन्द्र सिंह कानि 277 को तहरीर सहित कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली भेजकर दो स्वतंत्र गवाह श्री नवीन जैन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व श्री धीरज कुमार कर्दम कनिष्ठ सहायक को तलब कर बुलाया जाकर उनसे ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तथा दोनो गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री जयसिंह व शंकर सिंह से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा श्री पूरनचन्द पटवारी के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 02.12.2024 को दिखाया व पढवाया गया जिसके बारे में गवाहान के द्वारा परिवादी से वार्ता की एवं रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की तथा रिपोर्ट को सही मानते हुये परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने-अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये गये। इसके बाद

दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण के सामने मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे की कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसके फोल्डर नम्बर 01 में परिवादीगण एवं आरोपी पूरनचन्द पटवारी के मध्य दिनांक 02.12.2024 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेविल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपी श्री पूरनचन्द पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होने एवं वक्त सत्यापन 1500 रुपये प्राप्त करने संबंधी वार्ताओं का रिकार्ड होना पाया गया। समय अभाव होने से उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का रूपान्तरण एवं पैनड्राईव कार्यवाही उपरान्त तैयार किया जाना उचित मानते हुये रिकार्ड वार्ता के मूल वॉईस रिकार्डर को सुरिक्षत हालत में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय आलमारी में रखा जाकर आलमारी को लॉक किया गया। इसके बाद समय 10.40 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी के फूफा श्री शंकर सिंह की उपस्थिति में मन् पुलिस निरीक्षक के मांगने पर परिवादी श्री जयसिंह ने आरोपी पटवारी पूरनचन्द को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500 500 रूपये के 13 नोट कुल 6500 रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाये जाकर पेश शुदा नोटों को स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से बोल बोलकर करवाया गया। तत्पश्चात श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से एक साफ अखबार साफ टेबिल के उपर बिछवाकर उस अखवार के उपर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 6500रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री जय सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नवीन जैन से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु रूपया पैसा आदि नही रहने दिया गया इसके बाद सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 500-500 रूपये के 13 नोट कुल 6500रूपये के नोटो को संदिग्ध आरोपी पटवारी श्री पूरनचन्द को दिये जाने के लिये परिवादी के पहने हुये पेन्ट की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी पटवारी पूरनचन्द के मांगने पर ही निकालकर उन्हें देवे तथा आरोपी पटवारी उक्त रिश्वती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर बाहर आकर मौका स्थिति अनुसार अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिसकॉल कर ईशारा करे साथ ही परिवादी के फूफा श्री शंकर सिंह को भी परिवादी के साथ रहने की हिदायत दी गई। इसके बाद दोनों गवाहों को भी जहां तक संभव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का हर संभव प्रयास करने की हिदायत दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री धीरज कुमार से कार्यालय में से एक नये साफ प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय में लगे हुये आरओ से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और मुख्य आरक्षक श्री सुमेर सिंह से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री धीरज कुमार से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के भरे पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा जिसे हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के साफ सफेद घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर एवं गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री धीरज कुमार के मार्फत उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक पारदर्षी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशियां मय ढक्कन चम्मच आदि को सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान परिवादीगण तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने-अपने हाथ अलग अलग सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री जय सिंह को छोडकर दोनो गवाहान एवं परिवादी के फूफा श्री शंकर सिंह एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों की एवं मन पुलिस निरीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें किसी के पास अपने अपने पहचान पत्र एवं मोबाईल फोनो के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी के फूफा श्री शंकर सिंह को रिश्वत लेन-देन के समय आरोपी पटवारी से होने वाली वार्ताओं को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय

डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर उसमें नया खाली एसडी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी लगाकर खाली होना सुनिश्चित कर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया एवं श्री श्याम सिंह कानि 599 को उक्त वॉईस रिकार्डर परिवादीगण के आरोपी पटवारी के पास जाने से पहले चालू करने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हसताक्षर कराये गये। इसके बाद समय 12.15 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी जय सिंह की उपस्थिति में आरोपी पूरनचन्द पटवारी की उपस्थिति बाबत परिवादी के फूफा श्री शंकर सिंह से उसके मोबाईल फोन नम्बर [redacted] से पटवारी पूरनचन्द से उसके मोबाईल नम्बर [redacted] पर शंकर सिंह के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता कराई गई तो आरोपी पटवारी ने परिवादीगण को पुलिस चौकी गदका चौकी के पास करौली पर 15 मिनट के अन्दर आने को कहा गया उक्त वार्ता को परिवादी द्वारा स्वयं के सुपुर्द शुदा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया तत्पश्चात समय 12.25 पीएम पर कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री जयसिंह को उसके द्वारा लाई हुई मोटर साईकिल से उसके फूफा श्री शंकर सिंह सहित बाद हिदायत आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री श्याम सिंह कानि. 599 व श्री विष्णु सिंह कानि 135 को सरकारी मोटरसाईकिल से एवं श्री सुमेर सिंह हैड कानि. 70 व श्री बृजेश कुमार कानि 461 एवं श्री राकेश सिंह कानि 268 को प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री नवीन जैन व श्री धीरज कुमार एवं श्री अजय कुमार एएसआई श्री गोपेन्द्र सिंह कानि 277 व श्री केशवदेव शर्मा कानि 600 को मय बीडीयों कैमरा सहित मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी मय चालक बृजेश कुमार मीणा के लेकर एसीबी कार्यालय करौली से पुलिस चौकी गदका की चौकी के पास करौली के लिये रवाना हुआ कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक को एवं श्री समय सिंह हैड कानि 45 को बाद हिदायत छोडा गया समय करीब 12.35 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस चौकी के पास गदका चौकी करौली पहुंचा जहां पर परिवादी व उसका फूफा श्री शंकर सिंह मोटर साईकिल सहित गदका चौकी करौली के पास एक चाय के खोखे के पास पत्थर की बैंच पर बैठे हुये मिले एवं श्री श्याम सिंह कानि व श्री विष्णु सिंह कानि एवं सुमेर सिंह हैड कानि श्री राकेश सिंह कानि व श्री बृजेश कुमार कानि मोटर साईकिलों सहित गदका की चौकी पर आपस में एवं परिवादी से दूरी बनाये हुये रोड के दाहिने एवं बांये तरफ दुकानो के आस-पास खडे मिले मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहन को गदका चौकी से कैलादेवी व गंगापुरसिटी की ओर जाने वाले रोड पर कुछ दूरी पर जाकर वाहन को बांयी साईड में खडा करवाया जाकर श्री अजय कुमार एएसआई को मय स्वतंत्र गवाहान एवं गोपेन्द्र सिंह कानि के हमराह वाहन से उतारकर पैदल पैदल गदका चौकी के आस-पास की दुकानों पर खडे होकर परिवादीगण पर नजर रखने की हिदायत देकर रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक परिवादी व स्टाफ सदस्यों एवं गवाहान आदि से सम्पर्क रखते हुये गदका की चौकी के पास वाहन को घुमवाकर कैलादेवी से करौली तरफ रोड के बांयी साईड में लाकर वाहन को खडा करवाकर वाहन में ही मय केशवदेव कानि व चालक के बैठा हुआ परिवादी के अगले ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ जहां से परिवादीगण से स्पष्ट सम्पर्क है। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति पिठ्ठू बैग सहित हीरो स्पलेंडर मोटर साईकिल पर सवार होकर आया और गदका की चौकी के पास स्थित चाय के खोखे के सामने मोटरसाईकिल को खडा कर चाय के खोखे के पास पत्थर बैंच पर बैठे हुये परिवादीगण के पास जाकर बैंच पर बैठ गया जिससे परिवादीगण आपस में वार्ता करने लग गये तथा वार्ता करते करते पिठ्ठू बैग टंगे हुआ व्यक्ति और परिवादी जयसिंह दोनो चाय के खोखे के पीछे चले गये और कुछ समय के बाद वापस आकर पत्थर की बैंच पर बैठ गये। इसके बाद समय 12.45 पी.एम. पर दोनो गवाहों के सामने परिवादी श्री जयसिंह ने अपने फूफा श्री शंकर सिंह की मौजूदगी में पुलिस चौकी गदका की चौकी करौली स्थित चाय के खोखे के पास से अपने सिर पर बंधे मफलर को खोलकर सिर पर दो बार हाथ फेरकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी श्री जयसिंह व उसके फूफा शंकर सिंह के पास पहुँचा तथा परिवादी से वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया तत्पष्चात् परिवादी श्री जयसिंह ने अपने सामने पत्थर की बेंच पर बैठे जींस पेंट व जैकेट पहने हुये व्यक्ति की तरफ ईषारा कर बताया कि ये ही श्री पूरनचन्द पटवारी जी है जिन्होने अभी-अभी मुझसे 6500रूपये रिश्वत के मांग कर प्राप्त कर अपने बांये हाथ में लेकर अपने पहने हुए जींस पेंट की पीछे की बांयी साईड की जेब मे रख लिए है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सामने वाले उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयरन का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो वह व्यक्ति घबरा गया एवं अपनी आखों को बन्द कर बेहोश होने का बहाना बनाने लगा जिसे तसल्ली देकर समझाईस कर उससे उसका नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम पूरणचन्द खारवाल पुत्र श्री मोहनलाल खारवाल जाति खारवाल उम्र 35 वर्ष निवासी अन्नतवाडा (दहडा की ढांणी) पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा हाल पटवारी पटवार हल्का गुनेसरा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का सायपुर तहसील व जिला करौली होना बताया जिससे परिवादी श्री जयसिंह से उसके फूफा शंकर सिंह की उपस्थिति में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 02.12.2024 को 8000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करने एवं 1000 रूपये परिवादी के चाचा उमराव सिंह के लडके नरेन्द्र से पूर्व में रहन मुक्ति के प्राप्त करना स्वीकारने एवं वक्त सत्यापन दिनांक 02.12.2024 को ही 1500 रूपये परिवादी से प्राप्त करने एवं उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 03.12.2024 को प्राप्त की गई 6500 रूपये की रिश्वत

राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी पूरण चन्द खारवाल पटवारी ने बताया कि-मैने इस जयसिंह एवं इसके फूफा शंकर सिंह से विरासत का इन्तकाल खोलने के बदले में कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है इन्होने मुझे इस मामले में जबरदस्ती फसाया है दिनांक 02.12.2024 को ये दोनो मेरे पास आये थे तब भी मैने इनसे कोई मांग नहीं की थी इन्होने ही अपने स्तर पर ही मुझे पैसे देने की कहकर 1500 रूपये मेरे मना करने पर मुझे दिये थे तथा आज भी जयसिंह ने 6500 रूपये दिये है वह मेरे बिना मांगे मुझे जबरदस्ती दिये गये है तथा 1000 रूपये भी नरेन्द्र जबरदस्ती देकर गया था। इनका विरासत का इन्तकाल का काम मेरे पास है जो मौका रिपोर्ट के अभाव में पूरा नहीं हो पाया है मै कई बार इनके गांव में मौका निरीक्षण के लिये गया था लेकिन इन लोगो के बाहर रहने से इनके नहीं मिलने के कारण मौका रिपोर्ट का कार्य पूरा नहीं हुआ था बिना मौका रिपोर्ट के इन्तकाल होना संभव नहीं हो पाया है मौका रिपोर्ट के बाद यह इन्तकाल ई-मित्र के द्वारा सीधे ही दर्ज कराना था मैने इनसे कोई रिश्वत ना तो मांगी है और नांही प्राप्त की है इन्होने मुझे जबरदस्ती फसाया है। इसके बाद उपस्थित परिवादी जयसिंह से पटवारी पूरण चन्द खारवाल द्वारा बताये गये कथनों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने पटवारी के कथनों का झूंठा होना बताते हुये बताया कि-मेरे पिताजी सरदार सिंह व चाचा विजय सिंह व उमराव सिंह के नाम से ग्राम आनन्दगढ में सामालाती कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 12, 134 रकबा करीब 9 बीघा है। मेरे पिताजी एवं चाचा विजय सिंह की मौत हो चुकी है मेरे चाचा विजय सिंह के कोई बारिश नहीं था जो हमारे पास रहते थे उनकी मृत्यु के बाद उनके हिस्से की जमीन मेरे एवं मेरी बुआ व चाचा उमराव सिंह के नाम विरासत का इन्तकाल खोलने के लिये मैं और मेरे फुफाजी शंकर सिंह निवासी निवाई जिला टोंक दोनों इन पटवारी जी से मिले और इन्हे सभी कागजात इन्तकाल खोलने के लिये दे दिये उसके बाबजूद भी इन पटवारी जी ने इन्तकाल नहीं खोला तथा इन्तकाल खोलने के लिये इन्होने हमसे 9000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की हम इन पटवारी जी को रिश्वत नहीं देना चाहते थे एवं पकडवाना चाहते थे इसलिये इनकी शिकायत हमने दिनांक 02.12.2024 को आपको की थी तथा आपके द्वारा मुझे एवं मेरे फूफा शंकर सिंह को अपने एक कर्मचारी श्याम सिंह के साथ वॉईस रिकार्डर सहित इन पटवारी जी के पास तहसील कार्यालय कलक्ट्रेट परिसर करौली भेजकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया था तो इन पटवारी जी ने सत्यापन के समय हमसे हमारे विरासत के इन्तकाल खोलने के लिये 8000 रूपये रिश्वत लेने पर अपनी सहमति दी एवं पूर्व में मेरे चाचा उमराव सिंह के लडके नरेन्द्र से 1 हजार रूपये रहन मुक्ति के लेना स्वीकार किया एवं उसी समय मुझे पैसे देने को कहा जिस पर मैने वही 500-500 रू. के तीन नम्बरी नोट कुल 1500 रूपये जिनकी आपके द्वारा फोटोकॉपी कर अपने पास रखी थी अपने पास से निकालकर इन पटवारी जी को दिये जो इन्होने लेकर अपने पास रख लिये और बाकी के पैसे देने को कहा जिस पर हमने इन्हें आज दिनांक 03.12.2024 को देने के लिये कहा था तथा आज दिनांक 03.12.2024 को इनसे मेरे फूफा द्वारा फोन पर वार्ता की तो इन्होने हमें पुलिस चौकी गदका की चौकी करौली पर बुलाया और वहीं पर इन्होने शेष राशि 6500 रूपये मांग कर चाय के खोखे के पीछे ले जाकर मुझसे अपने बांये हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई जिंस पेन्ट की बांयी साईड की पीछे वाली जेब में रख लिये और रूपये लेने के बाद मेरे द्वारा आपको ईशारा कर दिया जिस पर आपके द्वारा इनको पकड लिया इसके बाद मौके पर उपस्थित परिवादी के फूफा श्री शंकर सिंह से पूछताछ की गई तो शंकर सिंह ने परिवादी श्री जयसिंह द्वारा बताये गये कथनों को सही बताया। इसके बाद आरोपी पूरणचन्द पटवारी से पुनः परिवादी एवं उसके फूफा शंकर सिंह द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो पूरणचन्द पटवारी द्वारा अपने पूर्व के कथनो के अलावा अन्य कोई नई बात नही बताई। तत्पश्चात बृजेश कुमार कानि 461 से पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल के दो साफ गिलासों को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उनमें चाय के खोखे पर पानी से भरी रखी बाल्टी में से साफ पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री धीरज कुमार कनिष्ठ सहायक से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी पूरण चन्द पटवारी के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क- RH-1, RH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी पूरण चन्द पटवारी के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी पूरणचन्द खारवाल पटवारी को परिवादी श्री जयसिंह से प्राप्त की गई 6500 रूपये की रिश्वत राशि को पेश करने के लिए कहा तो उसने उक्त राशि अपनी पहनी हुई जींस पैन्ट बरंग नीला की बांयी साईड की पीछे की जेब में रखी होना बताया जिस पर गवाह श्री नवीन जैन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से आरोपी पूरणचन्द खारवाल पटवारी के बदन पर पहनी हुई जींस पेंट बरंग नीला की बांयी साईड की पीछे वाली जेब की

तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब के अंदर से 500 500 रूपये के नोटो की मुडी हुई छोटी सी गडडी मिली जिसको जेब से बाहर निकलवाकर उक्त गवाह से उक्त राशि को गिनवाया गया तो पॉच पॉच सौ रूपये के 13 नोट कुल 6500 रूपये मिले उक्त बरामद शुदा 6500 रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। बरामद शुदा 6500 रूपये रिश्वत राशि नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित कराकर बरामद शुदा नम्बरी नोटों को पीले कागज के लिफाफे में रखवाकर विवरण लिफाफे के उपर वर्णित कर उक्त लिफाफे को सील्ड मौहर कर दोनों गवाहान परिवादीगण व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी पूरणचन्द खारवाल पटवारी से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 02.12.2024 को परिवादी श्री जयसिंह से उसके फूफा शंकर सिंह के सामने ली गई रिश्वत राशि 500 500 रूपये तीन नोट कुल 1500 रूपयो के बारे में पूछा तो आरोपी पूरणचन्द खारवाल पटवारी ने अपनी पहनी हुई जिंस पेट बरंग नीला की दाहिनी साईड की पीछे वाली जेब के अन्दर से अपने दाहिने हाथ से 500-500 रूपये के नोटो की मुडी हुई छोडी सी गडडी निकाली जिसे गवाह श्री धीरज कुमार कनिष्ठ सहायक को दिलाकर चैक करवाया गया तो 500-500 रूपये के तीन नोट कुल 1500 रूपये मिले जिनके नम्बरों का मिलान दिनांक 02.12.2024 को तैयार की हुई फर्द सुपुर्दगी वॉईस रिकार्डर में अंकित नोटो के नम्बरों से गवाहान से करवाया तो वही नम्बरी नोट होना पाया गया। बरामद शुदा 1500 रूपये रिश्वत राशि नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित कराकर बरामद शुदा नम्बरी नोटों को पीले कागज के लिफाफे में रखवाकर विवरण लिफाफे के उपर वर्णित कर उक्त लिफाफे को सील्ड मौहर कर दोनों गवाहान परिवादीगण व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसी बीच मौके पर दुकानदारो व राहगीरों की काफी भीड जमा हो गई जो कार्यवाही मे व्यवधान उत्पन्न होने के मध्यनजर आरोपी पूरणचन्द खारवाल पटवारी को सरकारी वाहन में बिठाकर उसकी मोटर साईकिल व पिठ्ठू बैग को जरिये जाप्ता हमराह साथ लेकर घटना स्थल से मय जाप्ता मय परिवादी व उसके फूफा शंकर सिंह सहित गये हुये वाहनों से समय 01.10 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 01.25 पीएम पर ब्यूरो ईकाई करौली पर उपस्थित आया व आरोपी पूरणचन्द खारवाल पटवारी को कार्यालय मे बैंच पर बैठाया जाकर उसके बदन पर पहनी हुई जींस पेंट बरंग नीला को ससम्मान बदन से उतरवाया जाकर लोअर मंगवाकर पहनवाया गया तथा उतारी हुई जींस पेंट की बांयी साईड की पीछे वाली जेब के अतिरिक्त अन्य जेबो की तलाशी गवाह से लिवाई गई तो 500-500 रूपये के २० नोट एवं एक 20 रूपये का नोट कुल 10020 रुपये मिले तथा एक मोबाईल फोन मेक वीवो वाई 21 ए बरंग बेंगनी डबल सिम मिला जिसमें लगे लॉक को आरोपी के बताने पर पासवर्ड से खुलवाकर चैक किया गया तो उक्त मोबाईल में सिम जिओ कम्पनी की नम्बर [redacted] जिसका आईएमईआई नम्बर-863035062816899 तथा सिम 2 नम्बर [redacted] वीआई कम्पनी की लगी होना एवं आईएमईआई नम्बर 863035062816881 है आरोपी की जामा तलाषी में मिले 10020 रूपये के बारे में पूछा गया तो पूरण चन्द खारवाल पटवारी ने बताया कि आज दिनांक 03.12.2024 को चेतन निवासी करौली से 10 हजार रूपये उधार लिये है तथा 20 रूपये मेरे स्वयं के है जिस पर पटवारी को चेतन के मोबाईल नम्बर बताने को कहा तो उसने चेतन का मोबाईल नम्बर 7800000222 होना बताया जाने पर मन पुलिस निरीक्षक ने चेतन से उसके मोबाईल फोन पर वार्ता कर पटवारी पूरणचन्द खारवाल को 10 हजार रुपये आज दिनांक 03.12.2024 को उधार देने के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया जिस पर उक्त 10020 रूपये की राशि को अवैध मानते हुये कब्जा एसीबी लिया गया तथा मोबाईल फोन को सिम सहित आरोपी पटवारी के कहे अनुसार उसके मौके पर आये दोस्त पटवारी श्री रामराज को सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को कानि बृजेश कुमार से ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर साफ पानी से साफ करवाया जाकर उसमें कार्यालय में लगे हुये वाटर कूलर में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें गवाह श्री धीरज कुमार कनिष्ठ सहायक से उसके दोनो हाथ सावुन व पानी से साफ कराने के बाद थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी पूरणचन्द खारवाल पटवारी के बदन से उतरवाये हुये जींस पेंट बरंग नीला की बांयी साईड की पीछे की जेब को उलटवाकर उक्त गवाह से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धतों ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा आधा डलवाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क PP-1 व PP-2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात उक्त जींस पेंट की धुलाई हुई बांयी साईड की पीछे की जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर जींस पेंट बरंग नीला को एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क PP अंकित कर थैली के उपर गवाहान परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री पूरणचन्द खारवाल पटवारी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु उपयोग में ली गई हीरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल नं. आरजे 29 ईएस 3860 बरंग काला को मय चाबी जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जाकर सुपुर्दगी नामें पर सुपुर्द किया

जावेगा। इसके बाद आरोपी पटवारी पूरणचन्द खारवाल को स्वास्थ्य खराब होने से राजकीय चिकित्सालय करौली जरिये तहरीर जाप्ता के हमराह भेजकर चिकित्सा परीक्षण कराया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी जयसिंह से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी पूरणचन्द खारवाल पटवारी से परिवादी श्री जय सिंह व उसके चाचा व बुआ के नाम विरासत का इन्तकाल खोलने संबंधी रिकार्ड के बारे में पूछा तो पटवारी ने अपने ऑफिस के किराये के कमरे में होना बताया जिसे पृथक से जप्त किया जावेगा। इसके बाद परिवादी जयसिंह व उसके फूफा शंकर सिंह एवं आरोपी श्री परूणचन्द खारवाल पटवारी से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश दुश्मनीया कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है इस पर तीनों ने ही अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। वक्त कार्यवाही बरामदगी व हाथ आदि धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा से जरिये केशव देव कानि. नम्बर 600 से कराई गई उक्त बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिव की जावेगी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में धोवन की शीशियों जींस पेंट के पैकेट व बरामद शुदा रिश्वती राशि आदि को सील्ड मोहर करने के उपयोग में ली गई पीतल की नमूना सील नं. 31 का नमूना फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन जैन व श्री धीरज कुमार एवं परिवादीगण जयसिंह व श्री शंकर सिंह एवं जाप्ता श्री सुमेर सिंह हैड कानि नं. 70 व श्री बृजेश कुमार कानि 461 के जरिये सरकारी वाहन मय चालक बृजेश कुमार मीणा के घटनास्थल गदका की चौकी करौली वास्ते नक्सा मौका तैयार करने हेतु रवाना होकर समय 4.10 पीएम पर पुलिस चौकी गदका की चौकी करौली पहुच दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादीगण की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मय हमराहीयान के घटनास्थल से समय 4.50 पीएम पर रवाना होकर समय 5.00 पीएम पर वापिस एसीबी कार्यालय करौली आया तथा तहसीलदार करौली से आरोपी पटवारी पूरनचन्द खारवाल को सेवा विवरण प्राप्त किया गया तथा समय 5.25 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक आरोपी पटवारी पूरनचन्द खारवाल द्वारा परिवादी के विरासत इन्तकाल से सम्बन्धित रिकार्ड कलैक्ट्रेट सर्किल करौली पर स्थित किराये का कमरा जिसको आरोपी पटवारी एवं अन्य पटवारियों के द्वारा ऑफिस के रूप में काम में लिया जा रहा है पर रखा हुआ होना बताने एवं उक्त कमरे की चाबी स्वयं की मोटरसाईकिल की चाबी के साथ ही होना बताये जाने पर उक्त चाबी को हमराह साथ लेकर उक्त रिकार्ड को बरामद करने के लिये मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन जैन व श्री धीरज कुमार एवं आरोपी श्री पूरणचन्द खारवाल पटवारी को एवं परिवादीगण जयसिंह व श्री शंकर सिंह एवं जाप्ता श्री बृजेश कुमार कानि 461 को जरिये सरकारी वाहन मय चालक बृजेश कुमार मीणा के कलैक्ट्रेट सर्किल करौली पर स्थित किराये के कमरे के लिये रवाना होकर समय 5.30 पीएम पर कलैक्ट्रेट सर्किल करौली पर स्थित पटवारी के किराये के कमरा पर पहुंचा तथा उक्त कमरे पर लगे ताले को साथ मे लाई हुई चाबी से जरिये आरोपी पटवारी पूरनचन्द खारवाल से खुलवाया जाकर अन्दर कमरे में प्रवेश किया उक्त कमरे के अन्दर से आरोपी पटवारी पूरनचन्द खारवाल ने परिवादी के विरासत इन्तकाल से सम्बन्धित दस्तावेज 1 लगायत 25 निकालकर पेश किये जिन्हे प्रकरण में बजह सबूत होने से मूल ही साथ लेकर तथा उक्त कमरे का ताला लगावाकर चाबी हमराह लेकर मय गवाहान आरोपी परिवादीगण एवं जाप्ता के लेकर जरिये सरकारी वाहन समय 5.40 पीएम पर रवाना होकर समय 5.50 पीएम पर वापस कार्यालय आया एवं तहसीलदार करौली को जरिये दूरभाष तलब किया गया तथा समय 6.05 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादीगण एवं आरोपी पटवारी श्री पूरनचन्द खारवाल एवं हस्व तलब शुदा तहसीलदार करौली की उपस्थिति में आरोपी पटवारी पूरनचन्द खारवाल के किराये के कमरे से बरामद शुदा परिवादी के पैडिंग कार्य विरासत इन्तकाल से सम्बन्धित दस्तावेजातों को बाद अवलोकन 1 लगायत 25 की फोटो प्रतियां कराकर उन्हें तहसीलदार करौली श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर से प्रमाणित कराकर प्रमाणित प्रतियों को वास्ते बजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया एवं मूल दस्तावेजों को परिवादी का कार्य वाधित ना हो के मध्यनजर तहसीलदार करौली को एवं आरोपी पटवारी के उक्त कमरे की चाबी को बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। फर्द जप्ती दस्तावेज बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा तहसीलदार महेन्द्र सिंह गुर्जर को कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके बाद समय 6.30 पीएम पर आरोपी पूरन चन्द खारवाल पटवारी को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 में बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा आरोपी पटवारी के पिठ्ठू बैग की तलाशी गवाह श्री नवीन जैन से लिवाई गई तो उक्त बैग के अन्दर स्वयं के नाम पद की रवड मौहर एवं पटवार हलका गुनेसरा व सायपुर से सम्बन्धित रिकार्ड मिला किन्तु परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रिकार्ड नहीं मिला और नांही कोई राशि बगैराह नहीं मिली गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से मौके पर उपस्थित आरोपी के दोस्त श्री रामराज पटवारी को दी गई एवं उक्त पिठ्ठू बैग को उसमें रखी हुई रवड मौहर आदि रिकार्ड/दस्तावेजों को भी रामराज पटवारी को सुपुर्द किया गया। इसके बाद समय 6.50 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा मय गवाहान एवं स्टाफ सदस्यों के मय बीडीयो कैमरा एवं महिला हैड कानि मय जाप्ता के आरोपी श्री पूरण चन्द खारवाल पटवारी के किराये के निवास स्थान स्थित राजपूत कॉलोनी अरावली नगर करौली पहुचकर नियमानुसार जरिये फर्द खाना तलाशी ली गई खाना

तलाशी की बीडीयोग्राफी कराई जाकर बीडीयोग्राफी के तीन पैनड्राईव सैंडिस्क 32 जीबी में संग्रहित कराया जाकर पैनड्राईव मार्क पीडी-1 पीडी-2 को कपडे की थैलियों में अलग अलग सील्ड मोहर किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक पैनड्राईव मार्क पीडी-3 को अनुसंधान हेतु कपडे की थैली में रखकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर खुला रखा गया। बाद खाना तलाशी पुलिस महिला हैड कानि को मय जाप्ता को मौके से रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त गवाहान जाप्ता के मय जप्त शुदा पैन्ड्राइव आदि के मय लेपटोप प्रिंटर बीडीयो कैमरा आदि के जरिये सरकारी वाहन समय 8.50 पीएम पर मौके से रवाना होकर समय 9.00 पीएम पर वापस कार्यालय आया तथा आरोपी श्री पूरण चन्द खारवाल पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु हीरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल नम्बर- आरजे 29 ईएस-3860 बरंग काला को लेकर गदका की चौकी करौली आकर रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए पकडे जाने से उक्त मोटरसाईकिल को मय चाबी के प्रकरण में वांछित होने के कारण पृथक से जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया एवं उक्त मोटरसाईकिल की प्रकरण मे आवश्यक्ता नही होने से उसकी सहमति अनुसार उसके उपस्थित आये हुये दोस्त रामराज मीणा पटवारी हल्का लोहर्रा तहसील व जिला करौली को जरिये सुपुर्दगी नामा दुरूस्त हालात मे मय चाबी के सुपुर्द किया जाकर कार्यालय से रूकसत किया गया फर्द बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी पटवारी पूरनचन्द खारवाल को खाना खिलाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना सदर करौली जरिये जाप्ता भिजवाया जाकर बन्द हवालात करवाया गया। इसके बाद समय 10.20 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्ड शुदा मूल विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर के फोल्डर नम्बर-1 में दिनांक 2.12.2024 को आरोपी पूरण चन्द खारवाल पटवारी व परिवादी जय सिंह व उसके फूफा शंकर सिंह से रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादीगण की उपस्थिति में कार्यालय आलमारी से निकालकर उसे लेपटॉप तोसीबा कम्पनी में लगाकर चलाकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादीगण को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादीगण से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण कानि श्री केशवदेव शर्मा नम्बर 600 से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री बृजेश कुमार कानि 461 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव सेंडिस्क मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क-ए-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क-ए-3 संग्रहित करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईवों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति मार्क ए-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क ए-2 को अलग अलग कपडे की थैलीयों में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल डिजीटल वॉईस रिकार्डर मैक मॉडल सोनी 2418604 को सुरक्षित कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-ए अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क-ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर एवं डब पैनड्राईवों की लेपटोप की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिंट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 4.12.24 को समय 1.00 एएम पर परिवादी श्री जय सिंह से प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 3.12.2024 को आरोपी पूरणचन्द खारवाल पटवारी की परिवादी श्री जय सिंह के फूफा श्री शंकर सिंह से रिश्वत लेन-देन से पूर्व कार्यालय से करवाई हुई मोबाईल वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन-देन आरोपी पटवारी व परिवादी जय सिंह एवं उसके फूफा श्री शंकर सिंह के मध्य रूबरू हुई वार्ता रिकार्ड है को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादीगण की मौजुदगी में लेपटॉप तोसीबा कम्पनी से चलाकर कर उसमें रिकार्ड मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादीगण को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादीगण से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री केशवदेव कानि नम्बर 600 से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री बृजेश कुमार कानि 461 से उक्त रिकार्ड मोबाईल एवं रिश्वत लेन-देन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से एक खाली पैनड्राईव सैंडिस्क 32 जीबी न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं मुलजिम प्रति डीबीडी सोनी कम्पनी मार्क बी-2 एवं एक आई.ओ. प्रति डीबीडी सोनी कम्पनी मार्क बी-3 संग्रहित करवाई जाकर एसडी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव व डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क बी-3 के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति मार्क बी-1 एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क बी-2 को कपडे की थैली में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क बी अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-बी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति डीबीडी मार्क बी-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड एवं संग्रहित पैनड्राईव व डीबीडी की लेपटोप की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिंटर आउट लेकर बाद हसताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 2.30 एएम पर दोनो गवाहान एवं परिवादीगण के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये कैशवदेव कानि 600 सरकारी बीडीयो कैमरा में करवाई गई बीडीयोग्राफी की तीन पैनड्राईवों में संग्रहित करवाई जाकर मार्क सी-1 व सी-2 एवं सी-3 अंकित करवाकर

पैनड्राईव मार्क-सी-1 व सी-2 को कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क-सी-3 को वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात समय 3.30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील नम्बर 31 को पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं उक्त नष्ट शुदा नमूनाशील को पृथक से एक कपड़े की थैली में रख सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क-एनएस 31 अंकित कर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया। फर्द नष्ट नमूना पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद जप्त/सील्ड माल वजह सबूत को एचएम मालखाना श्री सुमेर सिंह को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद जाप्ता को पुलिस थाना सदर करौली गिरफतार शुदा अभियुक्त को लेने के लिये भेजा गया जो अभियुक्त को थाना सदर करौली हवालात से प्राप्त कर कार्यालय उपस्थित आये अभियुक्त को कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया तथा अभियुक्त श्री पूरनचन्द खारवाल पटवारी से गवाहान के सामने रिश्वत राशि के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव किया गया तथा दोनो गवाहों एवं परिवादीगण को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश विशिष्ठ न्यायालय भ्र.नि.अधि. भरतपुर में वास्ते जेसी पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री पूरणचन्द खारवाल पटवारी पटवार हल्का गुनेसरा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का सायपुर तहसील व जिला करौली द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर परिवादी श्री जयसिंह पुत्र स्व. श्री सरदार सिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी गांव आनन्दगढ पुलिस थाना कुडगांव तहसील व जिला करौली से उसके पिताजी सरदार सिंह व चाचा विजय सिंह व उमराव सिंह के नाम से ग्राम आनन्दगढ में सामालाती कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 12,134 रकबा करीब 9 बीघा में से उसके चाचा विजय सिंह की मौत होने तथा उनके कोई वारिसान नहीं होने पर उनके हिस्से की जमीन का परिवादी एवं उसकी बुआ व चाचा उमराव सिंह के नाम विरासत का इन्तकाल (नामन्तरकरण) खोलने की एवज में 8000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर वक्त सत्यापन दिनांक 2.12.2024 को 1000 रूपये रहन मुक्ति के परिवादी के चाचा उमराव सिंह के लडके नरेन्द्र से पूर्व में प्राप्त करना स्वीकारना एवं वक्त सत्यापन ही परिवादी से 1500 रूपये बतौर रिश्वत राशि प्राप्त करना एवं अपनी उक्त मांग के अनुसरण में शेष रिश्वत राशि 6500 रूपये मांग कर दिनांक 3.12.2024 को परिवादी को गदका की चौकी करौली पर बुलाकर प्राप्त करते हुये मय रिश्वत राशि रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाना एवं वक्त सत्यापन प्राप्त की गई 1500 रू. की राशि उसके कब्जे से उसकी पहनी हुई जींस पैन्ट की दाहिनी साईड की पीछे वाली जेब से बरामद होना एवं परिवादी के विरासत कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज उसके किराये के कमरे से बरामद होना पाया गया है। अतः श्री पूरन चन्द खारवाल पुत्र श्री मोहनलाल खारवाल जाति खारवाल उम्र 35 वर्ष निवासी अन्नतवाडा (दहडा की ढांणी) पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा हाल पटवारी पटवार हल्का गुनेसरा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का सायपुर तहसील व जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज,पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पूरन चन्द खारवाल पुत्र श्री मोहनलाल खारवाल जाति खारवाल उम्र 35 वर्ष निवासी अन्नतवाडा (दहडा की ढांणी) पुलिस थाना बांदीकुई जिला दौसा हाल पटवारी पटवार हल्का गुनेसरा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का सायपुर तहसील व जिला करौली के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह,अतिरिक्त् पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 514 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1565-68 दिनांक 04-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर। 2-जिला कलक्टर,करोली। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): AMIT SINGH Rank (पद): अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):
No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/12/2024 17:25:07

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/04/1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)